#OPERATION CONVICTION

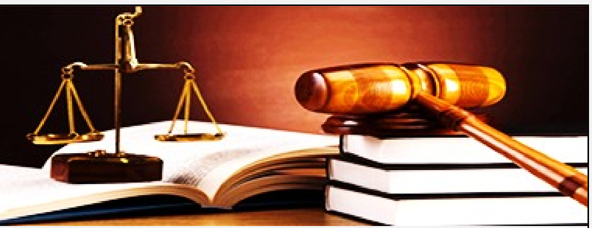

प्रेस नोट **इटावा पुलिस** **दिनांक- 25.03.2026**

थाना सिविल लाइन

इटावा पुलिस की सुदृढ़ विवेचना एवं अभियोजन की समन्वित कार्यवाही के परिणामस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 01 अभियुक्त गौरव राजपूत पुत्र दुर्गेश चन्द्र को 03 वर्ष का कारावास व 10,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

जनपद में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही कराये जाने तथा मा0 न्यायालय से दण्डित कराये जाने हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री बृजेश कुमार श्रीवास्तव द्वारा चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में थाना सिविल लाइन पैरोकार, व मानीटरिंग सैल द्वारा प्रभावी पैरवी के चलते मा0 न्यायालय एडीजे-7/एनडीपीएस एक्ट कोर्ट इटावा द्वारा 01 अभियुक्त को 03 वर्ष के कारावास व 10,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

संक्षिप्त विवरणः-

थाना सिविल लाइन क्षेत्रान्तर्गत अभियुक्त से 20 ग्राम स्मैक बरामद होने के सम्बन्ध में थाना सिविल लाइन पर दिनाँक 25.07.2015 को **मु0अ0सं0-411/2015 धारा 21/22 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया।**

उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में विवेचना अधिकारी **उ0नि0 पंकज कुमार** के द्वारा साक्ष्य संकलन की कार्यवाही की गयी। साक्ष्य संकलन के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा द्वारा इस प्रकरण मे सतत निगरानी बनाये रखते हुये दिये गये निर्देशानुसार अभियोग के गवाहों को थाना सिविल लाइन पुलिस टीम, पैरोकार का0 सूर्य प्रताप व मानीटरिंग टीम व एडीजीसी श्री योगेन्द्र परिहार द्वारा नियत तिथियों पर साक्ष्य प्रस्तुत करते हुये हुए अन्य साक्ष्यों के साथ प्रभावी एवं सख्त पैरवी की गयी। जिसके परिणामस्वरुप आज दिनांक 25.03.2026 को अन्तर्गत **धारा 21/22 एनडीपीएस एक्ट में मा0 न्यायालय एडीजे-7/एनडीपीएस एक्ट कोर्ट इटावा द्वारा अभियुक्त को 03 वर्ष का कारावास व 10,000/- रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया**

सजायाफ्ता अपराधी-

गौरव राजपूत पुत्र सुरेश चन्द्र निवासी बागवान कोतवाली जनपद मैनपुरी हाल पता- आजादनगर टीला थाना फैण्ड्स कॉलोनी इटावा।